



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

### मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

**“मिशन शक्ति 5.0 महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।**

**दिनांक- 10.06.2026**

**थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, थाना अलीगंज में महिलाओं एवं बालिकाओं को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।**

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

#### **आयोजक/आयोजन स्थल-**

- महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उप निरीक्षक उषा सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 शोभा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

**स्थान : -डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ**

#### **प्रतिभाग-**

- महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0हे0 विद्या सरोज, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

**स्थान-डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ में बच्चियों एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।**

## कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **10.06.2026** को थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा **डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ** में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर **112, 1090, 181 एवं 1076** के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त **महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप एप** एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं की उपयोगिता के बारे में बताया गया। पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए आमजन को फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी शेयरिंग एवं सोशल मीडिया फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी गई तथा **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी भी दी गई।

थाना अलीगंज पुलिस द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं नागरिकों को सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या अथवा साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल पुलिस हेल्पलाइन एवं साइबर हेल्पलाइन का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

## उद्देश्य:

- जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
- मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
- हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुंचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
- सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
- सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुंचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

### मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 10.06.2026

### **मिशन शक्ति 5.0: "सुरक्षित महिला, सशक्त परिवार; जागरूक नारी, समृद्ध समाज।"**

थाना सरोजनीनगर मिशन शक्ति टीम द्वारा कस्बा गौरी थाना सरोजनीनगर में जाकर महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत किया गया विशेष कार्यक्रम, सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर एवं 'यूपी-कॉप' (UP COP) आदि के बारे में जागरूक कर महिलाओं को सशक्त बनाने और सहायता प्रदान करने की एक पहल।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

#### आयोजक/आयोजन स्थल-

#### मिशन शक्ति टीम-थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

- महिला उ०नि० पूजा यादव
- महिला उ०नि० साधना शर्मा
- महिला उ०नि० सुष्मिता सिंह

स्थान- कस्बा गौरी, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ।

#### प्रतिभाग-

#### मिशन शक्ति टीम-थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

- महिला उ०नि० पूजा यादव
- महिला उ०नि० साधना शर्मा
- महिला उ०नि० सुष्मिता सिंह

स्थान- कस्बा गौरी, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ में जाकर महिलाओं एवं बच्चों को किया गया जागरूक

#### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.06.2026 को थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ की मिशन शक्ति टीम द्वारा कस्बा गौरी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं को घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न एवं साइबर अपराध से बचाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं को 1090 वूमेन हेल्पलाइन, यूपी डायल-112, 181, 1076, 1098, 101 एवं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को महिला हेल्प डेस्क, महिला पिंक बूथ, महिला सशक्तिकरण योजनाओं एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा अपराध होने पर बिना संकोच पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।

### **"मिशन शक्ति 5.0" के प्राथमिक उद्देश्य-**

केंद्रीय दर्शन: महिलाओं के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना, जिसमें उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

#### **सुरक्षा और सहायता (रक्षा):**

लक्ष्य: हिंसा की रोकथाम और कमी।

विधि: सुरक्षित वातावरण का निर्माण, त्वरित न्याय, कानूनी सहायता और पुनर्वास।

#### **आर्थिक सशक्तिकरण (स्वावलंबन):**

लक्ष्य: आर्थिक आत्मनिर्भरता।

विधि: कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा, रोजगार के अवसर, वित्तीय साक्षरता और बाजार से जोड़ना।

#### **सामाजिक सशक्तिकरण (सम्मान):**

लक्ष्य: लैंगिक समानता और अधिकारों की प्राप्ति।

विधि: शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण तक पहुंच, जागरूकता अभियान और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं (सामाजिक, राजनीतिक) में भागीदारी।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

### मिशन शक्ति बुलेटिन-V

#### “मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज, मिशन शक्ति का यही प्रयास”

पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर द्वारा थाना इंदिरानगर क्षेत्र के अंतर्गत खुर्रमनगर चौराहे एवं आसपास के क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक- 10.06.2026

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना इंदिरानगर क्षेत्र में बुद्धवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

#### आयोजन/आयोजन स्थल-

जागरूकता अभियान में सम्मिलित पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस टीम :

- म0का0 रेखा कुमारी
- म0का0 मोनिका राजपूत

**स्थान : खुर्रमनगर चौराहा, थाना इंदिरानगर, जनपद लखनऊ**

#### आयोजक टीम-

जागरूकता अभियान में सम्मिलित पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस टीम :

- म0का0 रेखा कुमारी
- म0का0 मोनिका राजपूत

**स्थान : खुर्रमनगर चौराहा, थाना इंदिरानगर, जनपद लखनऊ में महिलाओं को किया गया जागरूक।**

## कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.06.2026 को **पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर, थाना इन्दिरानगर, जनपद लखनऊ** द्वारा खुर्रमनगर चौराहे एवं आसपास के क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे **112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) तथा 1930 (साइबर हेल्पलाइन)** के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, यूपी कॉप एप एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं की उपयोगिता के संबंध में भी अवगत कराया गया।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी शेयरिंग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों से बचाव के संबंध में भी जागरूक किया गया तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस एवं हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की गई।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:**

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप का उपयोग**

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे, फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट, एवं एंटी रोमियो स्कवॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

## मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **“गुड टच” और “बैड टच”** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक** वितरित किए गए।

## उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

### मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

**“मिशन शक्ति 5.0 महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।**

**दिनांक- 10.06.2026**

**थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, थाना अलीगंज में महिलाओं एवं बालिकाओं को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।**

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

#### **आयोजक/आयोजन स्थल-**

- महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उप निरीक्षक उषा सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 शोभा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

**स्थान : -डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ**

#### **प्रतिभाग-**

- महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0हे0 विद्या सरोज, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

**स्थान-डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ में बच्चियों एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।**

## कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **10.06.2026** को थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा **डंडईया मार्केट, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ** में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर **112, 1090, 181 एवं 1076** के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त **महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप एप** एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं की उपयोगिता के बारे में बताया गया। पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए आमजन को फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी शेयरिंग एवं सोशल मीडिया फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी गई तथा **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी भी दी गई।

थाना अलीगंज पुलिस द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं नागरिकों को सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या अथवा साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल पुलिस हेल्पलाइन एवं साइबर हेल्पलाइन का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

## उद्देश्य:

- जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
- मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
- हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुंचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
- सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
- सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुंचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

### मिशन शक्ति बुलेटिन-V

#### “मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज, मिशन शक्ति का यही प्रयास”

पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर द्वारा थाना इंदिरानगर क्षेत्र के अंतर्गत खुर्रमनगर चौराहे एवं आसपास के क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक- 10.06.2026

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना इंदिरानगर क्षेत्र में बुद्धवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

#### आयोजन/आयोजन स्थल-

जागरूकता अभियान में सम्मिलित पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस टीम :

- म0का0 रेखा कुमारी
- म0का0 मोनिका राजपूत

**स्थान : खुर्रमनगर चौराहा, थाना इंदिरानगर, जनपद लखनऊ**

#### आयोजक टीम-

जागरूकता अभियान में सम्मिलित पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर, थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस टीम :

- म0का0 रेखा कुमारी
- म0का0 मोनिका राजपूत

**स्थान : खुर्रमनगर चौराहा, थाना इंदिरानगर, जनपद लखनऊ में महिलाओं को किया गया जागरूक।**

## कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.06.2026 को **पिंक बूथ-69 खुर्रमनगर, थाना इन्दिरानगर, जनपद लखनऊ** द्वारा खुर्रमनगर चौराहे एवं आसपास के क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे **112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) तथा 1930 (साइबर हेल्पलाइन)** के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, यूपी कॉप एप एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं की उपयोगिता के संबंध में भी अवगत कराया गया।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी शेयरिंग एवं सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों से बचाव के संबंध में भी जागरूक किया गया तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस एवं हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की गई।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:**

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप का उपयोग**

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे, फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट, एवं एंटी रोमियो स्कवॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

## मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **“गुड टच” और “बैड टच”** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग** की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी** दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

## उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

### मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 10.06.2026

**मिशन शक्ति 5.0-जागरूकता ही कवच है, सुरक्षित हर पल, सशक्त हर भविष्य।**

महिला थाना द्वितीय पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बीकेटी क्षेत्र के अस्ति क्रासिंग व बड़ी बाजार में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम एवं यूपी कॉप एप के बारे में किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

### आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला आरक्षी प्रतिभा, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी ज्योति सिंह, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी प्रियंका, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- अस्ति क्रासिंग व बड़ी बाजार थाना बीकेटी क्षेत्र में।

### प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी प्रतिभा, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी ज्योति सिंह, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी प्रियंका, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- अस्ति क्रासिंग व बड़ी बाजार थाना क्षेत्र बीकेटी में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

## कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 10.06.2026 को महिला थाना द्वितीय, लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा अस्ति क्रासिंग व बड़ी बाजार, थाना बीकेटी क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, महिला पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 102 एवं 108 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी एवं यूपी कॉप ऐप के उपयोग एवं महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक एवं साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 की जानकारी देकर किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं महिला हितैषी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

## कार्यक्रम के उद्देश्य

### 1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

### 2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

### 3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-958

दिनांक-10.06.2026

## जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के 01 आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

### 01-सक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2026 धारा-64(1)/87/137(2) बीएनएस व 3 /4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त आसिफ उर्फ नईमुल्ला पुत्र शकील निवासी – मुरली पिपरा थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 20 वर्ष लगभग को नरकटियागंज रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर बिहार से गिफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### 02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 20.01.2026 को वादी मुकदमा के द्वारा विपक्षीगण द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0-38/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम- 1.आसिफ जिसका वास्तविक नाम नईमुल्लाह आयु लगभग 20 वर्ष पुत्र शकील मियां निवासी- वार्ड नं.- 03, पिपरा, पश्चिमी चम्पारण, मुरली, बिहार 02.समसाद आलम आयु लगभग 203 वर्ष पुत्र सफायद मियां निवासी- वार्ड- 3, गांव- पिपरा, पोस्ट- मुरली, थाना- शिकारपुर, बिलासपुर, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण, नरकटियागंज, बिहार पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण महोदय द्वारा अभियोग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपहर्ता की बरामदगी/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा दिनांक-25.01.2026 को ऐशबाग लखनऊ स्टेशन से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। अपहर्ता का 180/183 बीएनएसएस के बयान किया गया जिससे अभियोग उपरोक्त में धारा-64(1) बीएनएस ¾ पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। तथा दिनांक-09.06.2026 को गठित टीम द्वारा अभियुक्त आशिफ उपरोक्त को नरकटियागंज रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर बिहार से गिफ्तार किया गया। तथा अभि0 समसाद के विरुद्ध साक्ष्य सकंलन की कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्त आशिफ उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-आसिफ उर्फ नईमुल्ला पुत्र शकील नि0-मुरली पिपरा थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 20 वर्ष

### 04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 38/26 धारा 64(1)/87/137(2) बीएनएस व 3 /4 पोक्सो एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।

### 05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय थाना चिनहट जनपद लखनऊ
02. उ0नि0 विशाल यादव थाना चिनहट लखनऊ
03. म0उ0नि0 प्रियंका राठौर थाना चिनहट लखनऊ
04. का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट लखनऊ।



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-962

दिनांक-10.06.2026

लखनऊ पुलिस का अवैध एवं नियमों के विरुद्ध संचालित ई-रिक्शाओं के खिलाफ विशेष/सघन अभियान।

कुल चेक किये गये ई-रिक्शा – 2201/कुल चालान – 434 /कुल सीज की कार्यवाही – 117

- सभी जोनों के पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में ACPs व थाना प्रभारियों की टीमों द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
- अभियान के दौरान कुल 2201 ई-रिक्शाओं की सघन चेकिंग की गई।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 434 ई-रिक्शाओं के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई।
- गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 117 ई-रिक्शाओं को सीज किया गया।
- चालकों को यातायात नियमों का पालन करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन संचालन हेतु जागरूक किया गया।

## कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशानुसार तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के पर्यवेक्षण एवं जनपद के सभी जोनों के पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में लखनऊ पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 09.06.2026 को विशेष ई-रिक्शा चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान बिना वैध अभिलेखों के संचालित ई-रिक्शा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले चालक, प्रतिबंधित अथवा अव्यवस्थित स्थानों पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई।

लखनऊ कमिश्नरेट के सभी जोनों में सहायक पुलिस आयुक्तों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपनी-अपनी पुलिस टीमों के साथ प्रमुख बाजारों, चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन क्षेत्रों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

## जोन-वार प्रभावी कार्यवाही का ब्यौरा-

जोन	कुल चेक किये गये ई- रिक्शा	कुल ई-रिक्शा का चालन	कुल सीज की कार्यवाही
उत्तरी जोन	212	22	14
दक्षिणी जोन	379	78	28
पूर्वी जोन	279	44	05
पश्चिमी जोन	778	190	44
मध्य जोन	553	100	26
कुल योग	2201	434	117

### प्रमुख स्थान:

चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस स्टेशन, कैसरबाग बस अड्डा, हजरतगंज, परिवर्तन चौक, निशातगंज, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, मुंशी पुलिया, पॉलिटैक्निक चौराहा, कमता, चिनहट, खरगापुर, हुसड़िया, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, आशियाना, बंगला बाजार, तेलीबाग, पीजीआई, दुबग्गा, चौक, अमीनाबाद, राजाजीपुरम, बुद्धेश्वर, आईटी चौराहा, मड़ियांव एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी जोनों में सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें तैनात रहीं।

### पुलिस आयुक्त लखनऊ का संदेश/अपील-

“शहर में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा चेकिंग का यह विशेष अभियान चलाया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध आगे भी निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

सभी ई-रिक्शा चालकों से अपील है कि वे निर्धारित यातायात नियमों का पालन करें, वैध अभिलेख साथ रखें तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार तरीके से वाहन संचालन करें, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।”

—श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस विज्ञप्ति सं०-961

दिनांक-10.06.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना-पीजीआई, नगराम व मानकनगर के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

## संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि०-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

मा० न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (का० एवं व्य०) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आज दिनांक-10.06.2026 को जिलाबदर किये गये व्यक्तियों का विवरण-

क्र.सं.	धारा	थाना	विपक्षी का नाम	जिला बदर
1	03 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	पीजीआई	आयुष शाक्य उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र पवन कुमार शाक्य निवासी- डिफेन्स कालोनी तेलीबाग, थाना पी०जी०आई०, लखनऊ	06 माह जिला बदर
2	03 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	नगराम	तुलसी उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र देवीदीन निवासी ग्राम देवती थाना नगराम, लखनऊ	06 माह जिला बदर
3	03 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	मानकनगर	निर्भय कुमार उर्फ विक्की उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र बृजनन्दन प्रसाद निवासी- बी-28/5 आरडीएसओ कालोनी मानक नगर, थाना मानक नगर, लखनऊ	06 माह जिला बदर



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-956

दिनांक-10.06.2026

## जोन- दक्षिणी/साइबर सेल

साइबर सेल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की टीम द्वारा खोये हुए मोबाइल फोन को CEIR पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जनपद/राज्यों से किया गया बरामद।

- कुल 65 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये ) किये गये बरामद।
- बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक धारकों को किया गया वापस।
- मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की।
- वर्ष 2026 में अब तक कुल 119 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत 27 लाख) बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सुपुर्द किया गया।

### 01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशानुसार जनता के खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत CEIR पोर्टल पर मोबाइल फोन गुमशुदगी के सम्बन्ध में बरामद किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 10.06.2026 को पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसन्त कुमार के निर्देशन में साइबर सेल, जोन-दक्षिणी की टीम द्वारा दक्षिणी जोन के समस्त थानो पर गठित साइबर हेल्प डेस्क की मदद से विभिन्न व्यक्तियों के खोये हुए मोबाइलों को CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किया गया।

उक्त मोबाइलों की लोकेशन विभिन्न जनपद/राज्यों में पायी गयी। दक्षिणी जोन के समस्त थानों की साइबर टीम के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त मोबाइलों को बरामद करते हुए उनके वास्तविक स्वामियों को बुलाकर सुपुर्द किया गया। बरामद मोबाइलो की कीमत लगभग 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रुपये हैं। जिन्हें पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) महोदय द्वारा उनके वास्तविक स्वामियों को प्रदान किया गया।

अपना खोया मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामियों द्वारा अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की और साइबर टीम व लखनऊ पुलिस की सराहना की।

### 02. बरामदगी विवरण:-

1. 65 अदद मोबाइल फोन (विभिन्न कम्पनी)  
(अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये)

### 03. बरामद करने वाली टीम:-

साइबर सेल, जोन-दक्षिणी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-960

दिनांक-10.06.2026

## जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां

➤ थाना महिगवां पुलिस द्वारा क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 02 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

### 01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 10.06.2026 को उ0नि0 जगमोहन दुबे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमें के सम्बन्ध में पूछताछ हेतु वादी मुकदमा दिलीप कुमार पुत्र मोलहे निवासी ग्राम सोनवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ व द्वितीय पक्ष के रंजीत कुमार पुत्र स्व0 नरायन निवासी सोनवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ को थाना हाजा पर बुलाया गया था। दोनो पक्ष थाना हाजा की गेट पर मुकदमेबाजी को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे। समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने बल्कि और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर इनको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो अवश्य ही संज्ञेय अपराध परिघटित कर परिशान्ति भंग कर देंगे।

तत्पश्चात संज्ञेय अपराध को परिघटित होने से रोकने के उद्देश्य से तथा शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु प्रथम पक्ष के दिलीप कुमार पुत्र मोलहे निवासी ग्राम सोनवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ व द्वितीय पक्ष के रंजीत कुमार पुत्र स्व0 नरायन निवासी ग्राम सोनवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ को समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तारी बताते हुये हिरासत पुलिस मे लिया गया। दौराने गिरफ्तारी मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन किया गया।

### 02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिलीप कुमार पुत्र मोलहे, निवासी ग्राम सोनवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. रंजीत कुमार पुत्र स्व0 नरायन, निवासी ग्राम सोनवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ, उम्र करीब 38 वर्ष।

### 03-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना महिगवां लखनऊ:-

1. उ0नि0 श्री जगमोहन दूबे
2. का0 आकाश कुमार
3. का0 शैलेन्द्र



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-957

दिनांक-10.06.2026

## जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

- थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

### 01-सक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/26 धारा-137(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में अभियुक्त अजीत वर्मन पुत्र विजय वर्मन निवासी – वार्ड नम्बर चार बंगाली टोला बेरिया कालोनी बेतिया थाना बेरिया जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 19 वर्ष लगभग को उसके अंकित पते से गिफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### 02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 06.04.2026 को वादिनी मुकदमा के द्वारा वादिनी की पुत्री के गुम हो जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0-181/26 धारा 137( 2) बीएनएस बनाम- अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 प्रियंका द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण महोदय द्वारा अभियोग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपहर्ता की बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा दिनांक-09.06.2026 को वार्ड नम्बर चार बंगाली टोला बेरिया कालोनी बेतिया थाना बेरिया जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। अपहर्ता का 180 बीएनएसएस के बयान किया गया जिससे अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त अजीत वर्मन उपरोक्त प्रकाश में आया। जिसको दिनांक-09.06.2026 को गठित टीम द्वारा अभियुक्त अजीत वर्मन उपरोक्त को उसके अंकित पते से गिफ्तार किया गया । अभियुक्त अजीत वर्मन उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अजीत वर्मन पुत्र विजय वर्मन निवासी – वार्ड नम्बर चार बंगाली टोला बेरिया कालोनी बेतिया थाना बेरिया जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार उम्र 19 वर्ष

### 04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 181/26 धारा 137(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

### 05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01.उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय थाना चिनहट जनपद लखनऊ

02.उ0नि0 विशाल यादव थाना चिनहट लखनऊ

03.म0उ0नि0 प्रियंका राठौर थाना चिनहट लखनऊ

04.का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट लखनऊ।



# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-959

दिनांक-10.06.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

- बाल अपचारी द्वारा नाबालिक बालिका के साथ जबरन बलात्कार करने वाला बाल अपराचारी को संरक्षण में लिया गया ।
- थाना बन्थरा पुलिस टीम की कार्यवाही ।

## 01-कार्यवाही:-

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी), श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी), श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त, कृष्णानगर, श्री रजनीश वर्मा के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना बन्थरा, श्री राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा बाल अपचारी द्वारा नाबालिक बालिका के साथ जबरन गलत काम करने वाले बाल अपराचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया ।

## 02-संक्षिप्त विवरण:-

- दिनांक 09.06.2026 को वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर- मु०अ०सं० 172/2026 धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना बन्थरा जनपद लखनऊ बनाम बाल अपचारी, बावत वादिनी की पुत्री उम्र 11 वर्ष के साथ जबरन दुष्कर्म करने के संबंध में ।
- घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय द्वारा अभियोग के अनावरण एवं गम्भीरता के दृष्टिगत 02 टीमों का गठन किया गया था।
- दिनांक 10.06.2026 को विवेचना के क्रम में ग्राम लतीफनगर में घर के पास से बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष को संरक्षण में लिया गया। बाल अपचारी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म कर गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है । बाल अपचारी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## 02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. बाल अपचारी किशोर उम्र करीब 15 वर्ष।

## 03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं०-172/2026 धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता व 5M/6 पाक्सो एक्टथाना बन्थरा लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

## 04-गिरफ्तार / संरक्षण में करने वाली पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
2. उ०नि० श्री अशोक कुमार
3. का० पुष्पेन्द्र सिंह
4. म०का० मोनी यादव